न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 55/2021 (जीसीएमएस नम्बर 2021/97)

1. नाथूलाल पुत्र कन्हैया, जाति मीना, निवासी ग्राम खेडी रामला, तहसील सिकराय, जिला दौसा।

— अपीलान्ट

बनाम

1. मनीषा पत्नि खुशीराम जाति मीना, निवासी उकरूद तहसील महुवा, जिला दौसा हाल खेडी रामला तहसील सिकराय, जिला दौसा।
2. रामनिवास पुत्र राम्या जाति मीना, निवासी खेडी रामला, तहसील सिकराय, जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय, जिला दौसा।

— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा दिनांक 26.02.2021 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट उनवानी मनीषा बनाम राज0 सरकार मुकदमा नंबर 41/2020 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री प्रदीप कुमार विजयवर्गीय, वकील अपीलान्ट।
2. श्री अशोक कुमार जोशी, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
4. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –19.08.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 26.02.2021 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 23.07.2021 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 171/12 रकबा 0.4500 है0 व खसरा नम्बर 173/14 रकबा 0.4700 है0 कुल किता 2, कुल रकबा 0.9200 है0 वाके ग्राम खेड़ीरामला, पटवार हल्का पीलोड़ी, तहसील सिकराय, जिला दौसा में स्थित है। जो प्रार्थीया के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि नेशनल हाईवें संख्या 21 के दिशा उत्तर की ओर सड़क से लगती हुयी है। प्रार्थीया उक्त भूमि पर बदस्तूर कब्जा काश्त होकर उपयोग–उपभोग करती चली आ रही है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिकराय को आदेश दिये गये कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 171/12 रकबा 0.4500 है0 व खसरा नम्बर 173/14 रकबा 0.4700 है0 कुल किता 2, कुल रकबा 0.9200 है0 वाके ग्राम खेड़ीरामला, पटवार हल्का पीलोड़ी, तहसील सिकराय, जिला दौसा का सीमाज्ञान कर पुख्ता सीमा चिन्ह कायम करते हुए

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

पत्थरगढ़ी करवाये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2021 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 26.02.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट नाथूलाल पुत्र कन्हैया ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा दिनांक 26.02.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.02.2021 विधि विरूद्ध एवं प्रक्रिया नियमों व न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना व अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना रेस्पो0 नंबर 2 व 3 का जवाब लिये बिना व रिकार्ड को देखे बिना तथा मुकदमे चल रहे है उसमें स्वयं तहसीलदार पक्षकार है उस तथ्य को देखे बिना उक्त निर्णय पारित किया गया है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। उप जिला कलेक्टर सिकराय के जिस निर्णय व डिक्री से तकासमा होकर और उक्त खसरा नंबर 171/12 एवं 173/14 बने थे उक्त निर्णय व डिक्री को भू–प्रबन्ध अधिक़ारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा ने निरस्त कर और प्रकरण को रिमान्ड कर दिया जब प्रकरण रिमान्ड हो गया तो जिस फैसले से उक्त नंबर बने थे वे निरस्त हो गये और भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय के खिलाफ स्वयं मुनीषा ने दो अपील अनुवानी मुनीषा बनाम नाथू की माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत कर रखी है जिसमें माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित कर रखा है। किन्तु रेस्पो0 नंबर 1 व 2 ने मिलीभगत से उक्त मुकदमे के तथ्यों को छिपाकर उक्त निर्णय पारित करवाया है। वादग्रस्त स्थल जहाँ बताया गया है वहाँ पर अपीलान्ट के मकानात बने हुए है और मौके पर अपीलान्ट का कब्जा है। रेस्पो0 नंबर 1 ने झूठे आधारों पर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के स्थगन के तथ्य को छिपाकर और उक्त नंबर जिस फैसले से बने थे उसके निरस्त हो जाने के तथ्य को छिपाकर उक्त निर्णय पारित करवाया गया है। उक्त भूमि सह खातेदारी की भूमि है और अपीलान्ट भी सह खातेदार है जिसके संबध में अपीलान्ट/रेस्पोडेन्ट व अन्य के मध्य राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष मुकदमा विचाराधीन है इसलिये अपीलान्ट उक्त निर्णय से प्रभावित पक्षकार है तथा उक्त भूमि में अपीलान्ट के मौके पर मकान बने हुए है तथा मौके पर अपीलान्ट का कब्जा है किन्तु रेस्पोडेन्ट ने सभी तथ्यों को छिपाकर उक्त निर्णय पारित करवाया है जो निरस्त योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सिकराय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनाक 26.02.2021 की अपीलान्ट को कतई जानकारी नही थी क्योंकि उक्त निर्णय में अपीलान्ट उक्त भूमि के सह खातेदार व मौके पर काबिज रहवास कर रहे व्यक्ति को पक्षकार बनाये बिना व सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना उक्त निर्णय पारित किया गया है इसलिये अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नही थी। मनीषा द्वारा अपीलान्ट के पुत्र ओमप्रकाश व अन्य लोगों को उक्त निर्णय की अपील के संबध में दिनांक 29.06.2021 को टाईप किया हुआ केवियट प्रार्थना पत्र की कापी भिजवायी और उक्त कापी अपीलान्ट के पुत्र को प्राप्त होने पर अपीलान्ट के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

पुत्र ने उसके नौकरी पर अन्यत्र होने के कारण वहाँ से आने पर दिनांक 11.07.2021 को अपीलान्ट को बताया कि मनीषा के द्वारा भेजा गया केवियट का प्रार्थना पत्र मिला है जिसमें उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा मुकदमा नंबर 41/2020 पर दिनांक 26.02.2021 को कोई निर्णय होना उक्त भूमि के संबंध मे बताया गया है तब अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी सिकराय के निर्णय दिनांक 26.02.2021 के बारे में उप जिला कलेक्टर सिकराय के न्यायालय में तलाश करवाया तो काफी जानकारी करने पर दिनांक 22.07.2021 को मालूम पडा कि रेस्पो0 नंबर 1 ने भूमि खसरा नंबर 171/12 एवं 173/14 ग्राम खेडी रामला के संबंध में दिनांक 26.02.2021 को सीमाज्ञान व पत्थरगढी का आदेश उप जिला कलेक्टर सिकराय से करवा लिया है तब अपीलान्ट नें उक्त निर्णय दिनांक 26.02.2021 की नकल हेतु दिनांक 22.07.2021 को ही आवेदन पत्र पेश करवाया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 22.07.2021 को मिली तब सर्वप्रथम अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी हुई उक्त निर्णय की जानकारी होने पर वकील नियुक्त कर अपील तैयार करवाकर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है जो जानकारी से एवं कोरोना काल की वजह से अन्दर मयाद प्रस्तुत है। दफा 5 कानून मयाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से संलग्न है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 26.02.2021 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा दिनांक 26.02.2021 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट उनवानी मनीषा बनाम राजस्थान सरकार, प्रकरण संख्या 41/2020 पर पारित किया गया है को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 01 मनीषा ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिकराय, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 का पेश कर निवेदन किया गया था कि प्रार्थीया के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 171/12 रकबा 0.4500 है0 व खसरा नम्बर 173/14 रकबा 0.4700 है0 कुल किता 2, कुल रकबा 0.9200 है0 वाके ग्राम खेड़ीरामला, पटवार हल्का पीलोड़ी, तहसील सिकराय, जिला दौसा में स्थित है। जो प्रार्थीया के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि नेशनल हाईवें संख्या 21 के दिशा उत्तर की ओर सड़क से लगती हुयी है। प्रार्थीया उक्त भूमि पर बदस्तूर कब्जा काश्त होकर उपयोग–उपभोग करती चली आ रही है और प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी आराजीयात व फसल की पशुओं से सुरक्षार्थ आदि के लिये पत्थरगढी इत्यादि करवाने का कानूनन हक, अधिकार प्रदत्त है। उन्होंने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की आराजी की ही पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2021 पारित किये गये। जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को किसी प्रकार के उज्रात करने का कानूनी हक अधिकार प्रदत्त नहीं है

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

बल्कि अपीलार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को बैजा हैरान परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2021 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 11.07.2021 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नकल प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। प्रार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों से कही भी यह साबित नही हो रहा है कि वह रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का पडौसी खातेदार एवं सह खातेदार साबित होता हो। जब प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का पडौसी खातेदार एवं सह खातेदार ही नही है तो उनकी इस प्रकरण में सुनवाई किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा किया गया कथन की पुष्टि नही होती तथा जब तक कोई सबूत रिकार्ड पर नही आता है तब तक कोई भी बात मानने योग्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकार सिकराय, जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में विधिक प्रकिया अपनाई गई है। किसी प्रकार की विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन या पक्षपात दृष्टिगोचर नही होता है, ना ही प्रार्थी द्वारा प्रमाणित किया जा सका है। बिना किसी प्रमाण के किसी भी व्यक्ति के कथन को तर्क युक्त नही माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिकराय को आदेश दिये गये कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 171/12 रकबा 0.4500 है0 व खसरा नम्बर 173/14 रकबा 0.4700 है0 कुल किता 2, कुल रकबा 0.9200 है0 वाके ग्राम खेड़ीरामला, पटवार हल्का पीलोड़ी, तहसील सिकराय, जिला दौसा का सीमाज्ञान कर पुख्ता सीमा चिन्ह कायम करते हुए पत्थरगढ़ी करवाये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2021 पारित किये गये हैं। उक्त अपीलाधीन आदेश की पालना में गठित राजस्व कार्मिकों की टीम के सदस्यों द्वारा दिनांक 30.06.2021 को ग्राम खेडीरामला के खसरा नम्बर 171/12 व 173/14 के मौके पर पहुॅचकर तहसीलदार सिकराय मौका मजिस्ट्रेट व थानाधिकारी मेहन्दीपुर बालाजी मय महिला व पुरूष जाब्ता के साथ टीम द्वारा सीमाज्ञान उक्त खसरों के चारों तरफ नाप जोक की जाकर निशानात कायम किए गये। निशानात कायम किए जाकर उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा के सीमाज्ञान व पत्थरगढी आदेश की पालना की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

गई। मौका पर्चा बनाया जाकर उपस्थितों के हस्ताक्षर करवाये गये हैं। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2021 पारित कर विवादित आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। पत्थरगढी के आदेश की पालना में दिनांक 30.06.2021 को मौके पर खसरा नंबर 171/12 व 173/14 की पत्थरगढी की जा चुकी है, जब अपीलाधीन आदेश की पालना हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.02.2021 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2021 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

<u>अतः आदेश है</u> कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.02.2021 यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 19.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर